उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-1

संख्या-8/2025/I/993543/2025-10-3001/77/2021-3-वित्त विभाग

लखनऊ ; दिनांक : 15 जून, 2025

विज्ञप्ति/तैनाती

उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय आदेश संख्या I/958708/2025 दिनांक 09.05.2025 द्वारा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद से उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा के पद पर पदोन्नत श्री सजीवन को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के पद पर एतद्द्वारा पदस्थापित/तैनात किया जाता है।

2. श्री सजीवन को निर्देशित किया जाता है कि अपने पदस्थापन/तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेंगे।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. सम्बन्धित अधिकारी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सन्त लाल
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in